


समर्थ: न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर & मध्य प्रदेश &

निगरानी याचिका क्र०-



Handwritten signature



- १। जगन्नाथ चौधरी पिता श्री कुन्ना चौधरी, ग्राम किरहाई, तहसील अमरपाटन, जिला सतना ₹१०००/-
- २। सुक्वरिया पत्नी श्री मुन्ना चौधरी, पिता श्री कुन्ना चौधरी, निवासी ग्राम भिरिया, बाजपेड़न टोला जिला सतना ₹१०००/-

---निगराकारगण

--:- बनाम --:-

लक्ष्मण चौधरी तनय श्री रामपियारे चर्मकार, साकिन किरहाई, थाना अमरपाटन, जिला सतना ₹१०००/-

---गैर निगराकार

R-898-11/2002

Handwritten notes and signatures:
 श्री... को प्रस्तुत।
 न्याय सचिव
 ग्वालियर

16 APR 2002
 18 6 APR 2002

निगरानी याचिका विरुद्ध आदेश श्रीमान् न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा, संभाग रीवा म०प्र०, प्रकरण क्रमांक- 285/अपील/99-2000 आदेश दिनांक- 14.02.2002।

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता।

मान्यवर,

निगरानी याचिका के आधार निम्नांकित है:-

१। यह कि निगराकार गण ग्राम किरहाई के निवासी है। और विवादित आराजी ग्राम धतुई तहसील अमरपाटन जिला सतना की है, जो कि निगराकार गण के स्वत्व स्वम् आधिपत्य की रही है। जिसे गैरनिगराकार द्वारा कूटरचित विक्रयपत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी का नामांतरण नाय तहसीलदार के न्यायालय से दिनांक 27.03.99 के आदेश से अपने नाम करा लिया। जबकि विवादित भू-आराजी का विक्रय निगराकार गण की ओर कभी गैरनिगराकार को नहीं किया गया।

Handwritten signatures and notes:
 M
 15/4/2002

R. 898-II/02

D.O.

R 898/II/02

FO

सदर

17/3/17

शिक्षक संस्थानों को - कुलियों के अभाव
 को समझ समझ पर शोधित कराया
 अब कोश सुधार में ही शिक्षक को
 शिक्षक संस्थानों के सुधार के लिए
 कोश सुधार करना है शोधित करना
 कोश सुधार को - सुधार को
 सुधार

Shivan
 17/3/2017

